महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज0)

वाद संख्यां ::– 54/2022

चन्द्र शेखर पिता रमेशचन्द्र कोली निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1. गोर्धन पिता नन्दा बलाई निवासी सौदर्शनपुरा मजरा रात्यातलाई तह0 बेगूँ
2. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री वी.के. चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादी
श्री गोपाल शर्मा
अधिवक्ता प्रति

निर्णय दिनांक :– 30.05.2023

प्राथमिक निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री वी.के. चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

मौजा चौहानों का नयागांव प0ह0 सामरियाकलां तह0 बेगूं में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता सं. 5

आराजी. संख्या	रकबा हैक्टर में	लगान
148/105 मी.	1.4460	3.59 रूपये

यह कि आराजी सं0 148/105 मी. में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 2/3 हक–हिस्सा निहित तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 अपने–अपने निहित हक हिस्सा अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाड़ा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए दिनांक 05.05.2022 को वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को तहसील में चलकर भूमि का बंटवाड़ा करने के लिये कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने इंकार कर दिया।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री प्रदान कराने की कृपा करें:–

(क) कि वर्णित मौजा चौहानों का नयागांव प0ह0 सामरियाकलां तह0 बेगूँ में स्थित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी सं0 148/105 रकबा 1.4460 है0 में वादी का 2/3 हक–हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हक हिस्सा भूमि का मीट्स एवं बाउण्स के आधार पर अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी से बुरी भूमि का मौके पर काबिजात अनुसार का मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:23 IST
Reason: SelfAttested

(ख) कि बाद विभाजन के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता अलग रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावे।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादी...

दी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री ल शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया।

पत्रावली महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग़ अभियान 2023 कैम्प सामरियाकलां. में रखी गई। वादी ने उपस्थित होकर उक्त आराजीयात का बंटवारा करने का निवेदन किया।

1. हमने पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया जिसमें वादी चन्द्र शेखर पिता रमेशचन्द्र कोली के खाता सं0 5 आराजी सं0 148/105 रकबा 1.4460 है0 भूमि में हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादी सं0 1 गोर्धन पिता नन्दा का हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मौजा चौहानो का नया गांव प0ह0 सामरियाकलां तह0 बेगूं के खाता सं0 5 आराजी सं0 148/105 रकबा 1.4460 है0 भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा अनुसार मौके एवं रिकार्ड में विभाजन करा पाने का अधिकारी पाया जाता है। इस प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व वादी के बंटवारा कराने के निवेदन से हम सहमत है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का स्वीका किया जाता है. मौजा चौहानों का नया गांव प0ह0 सामरियाकलां तह0 बेगूं के खाता सं0 5 आराजी सं0 148/105. रकबा 1.4460 है0 भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा जमाबंदी अनुसार करते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूँ को 1500 रू0 कमिश्नर शुल्क पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात का विभाजन हिस्सानुसार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को लिखा जाकर महंगाई राहत कैम्प/प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प सामरियाकलां में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:23 IST
Reason: SelfAttested